न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूं जिला चितौड़गढ़ (राज0)

दिनांक 9/5/25

प्रार्थना पत्र संख्या :- 84 / 2025

171

अनवान

चुन्नीलाल पिता किशना जी धाकड़ वगैरह
निवासी रावता त० बेगूं प्रार्थी / प्रार्थीगण

बनाम

अलाउद्दीन पिता सुभान जी मुसलमान वगैरह
निवासी रावता त० बेगूं विपक्षी / विपक्षीगण

:: आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट के तहत बावत पत्थरगढी करने::

न्यायालय में अधिवक्ता श्री A. K. शर्मा के द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट के तहत हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया है। जिसके वाद जॉच दर्ज किया जाकर प्रकरण में जॉच किये जाने पर पाया कि प्रार्थी / प्रार्थीगण वर्णित आराजीयात का खातेदार है तथा प्रार्थी द्वारा उनके खातेदारी की कृषि आराजी मौजा सिंहपुर पटवार हल्का रावता की आराजी संख्या 564/24, 565/25 व 505/24, 506/25 कुल कीता–04 कुल रकबा 1.6200 हैक्टेयर कृषि भूमि की पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया गया है।

पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन हमारे द्वारा किये जाने पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने योग्य पाया गया है। अतःप्रार्थी / प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की छायाप्रति इस आदेश के साथ संलग्न की जाकर आपको आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी / प्रार्थीगण के खातेदारी की कृषि आराजी मौजा सिंहपुर पटवार हल्का रावता की आराजी संख्या 564/24, 565/25 व 505/24, 506/25 कुल कीता–04 कुल रकबा 1.6200 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढी हेतू सूचना पत्र जारी कर प्रार्थी / प्रार्थीगण एवं विपक्षी / विपक्षीगण की उपस्थिती में प्रार्थीगण से पत्थरगढी शुल्क की राशि 2500/- प्राप्त करते हुए मौके की पत्थरगढी की जावें।

संलग्न :– प्रार्थना पत्र
कीता–4

उपखण्ड अधिकारी, बेगूं
जिला चितौड़गढ़(राज.)

क्रमांक / सरिश्ता / 2025 / 303 दिनांक :– 14/5/25

प्रार्थना पत्र संख्या 84/25 व अनवान चुन्नीलाल/अलाउद्दीन प्रार्थना पत्र अ0धा0 128 एल.आर.एक्ट में न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश की प्रति आपको वास्ते पालनार्थ दी जाती है।

उपखण्ड अधिकारी,बेगूं
जिला चितौड़गढ़(राज.)